संख्याः **1501** / 35–1–2008–4 / 1(14) / 2006 **T.C.**

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1 *लखनऊः दिनांकः 20 अगस्त, 2008*

विषयः राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 (प्रशिक्षण प्रभाग) के वाहन चालक संवर्ग के ढॉचे का पुनर्गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (1997–99) / मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढाचें का पुनर्गठन के विषय में शासन द्वारा लिए गये निर्णय के कम में राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 (प्रशिक्षण प्रभाग) के वाहन चालक संवर्ग में चालक के तीन पदों को निम्न तालिका के स्तम्भ–5 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 11.5.2006 से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ 2 / 3 के अनुसार पद नाम / वेतनमान तथा स्तम्भ–4 के अनुसार पद संख्या निर्धारित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संलग्नक तालिका

तालिका

क0सं0	ग्रेड / पदनाम	वेतनमान	पद की संख्या	भर्ती की विधि
1	2	3	4	5
1–	वाहन चालक ग्रेड–4	3050–4590	01	वाहन चालक ग्रेड–4 के पद पर सीधी भर्ती नियमानुसार वर्तमान में निर्धारित अर्हताओं क आधार पर की जायेगी।

2 / –

2— वाहन चालक ग्रेड—3	4000—6000	01	वाहन चालक ग्रेड—3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड—4 से की जायेगी जिन्होने 9 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
3— वाहन चालक ग्रेड—2	4500—7000	01	वाहन चालक ग्रेड—2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड—3 के पदधारकों से की जायेगी जिन्होने ग्रेड—3 के पद पर 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा अथवा वाहन चालक ग्रेड—4 की सेवाओं को जोड़ते हुए कुल 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।

नोटः— पदोन्नति हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट का पाठ्यक्रम संलग्न है। ट्रेड टेस्ट का आयोजन अलग से किया जायेगा।

2— उपरोक्तानुसार स्वीकृत ग्रेड/वेतनमान में वर्तमान वाहन चालकों के समायोजन/पदोन्नति की प्रकिया निम्नानुसार होगीः—

(क) सम्बन्धित पदधारक— वर्तमान में जो वेतनमान प्राप्त कर रहा है वह तदनुसार उसी ग्रेड में समायोजित हो जायेगा। उदाहणार्थ— यदि किसी विभाग में कोई वाहन चालक वर्ममान में रू0 4000—6000 का वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर रहा है तो उसे वाहन चालक ग्रेड—3 के पद पर समायोजित कर दिया जायेगा और यदि कोई वाहन चालक वर्तमान में रू0 4500—7000 का वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर रहा है तो उसे वाहन चालक ग्रेड—2 के पद पर समायोजित कर दिया जायेगा।

(ख) उपरोक्त वर्तमान वाहन चालकों को विभिन्न ग्रेड्स में समायोजित करने के बाद यदि ग्रेड—3, ग्रेड—2 में निर्धारित विभाजन के सापेक्ष पद रिक्त रह जाते हैं तो उन्हें पदोन्नति की उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रकिया अपनाते हुए भरा जाये। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त समायोजन के फलस्वरूप यदि किसी ग्रेड में पदधारकों की संख्या निर्धारित विभाजन से आगणित पदों
की संख्या से अधिक हो जाती है तो अधिक पदधारकों द्वारा किसी कारणवश पद रिक्त किये जाने की दशा में वह पद आनुपातिक विभाजन के अनुसार ही संबंधित ग्रेड में समायोजित हो जायेंगे।

(ग) उपरोक्तानुसार उच्च वेतनमान के पदों के विरूद्ध कर्मचारियों के समायोजन अथवा पदोन्नति में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया जायेगा।

3/—

3– वाहन चालक के ऐसे पदधारक, जिनका उपरोक्तानुसार समायोजन ग्रेड–3 तथा ग्रेड–2 के पदों के सापेक्ष होता है, उनका संबंधित ग्रेड के वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–22 ए (1) के अनुसार किया जायेगा। संबंधित ग्रेड में पदोन्नति की निर्धारित प्रकिया के आधार पर नियुक्त होने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण सामान्य नियमों के अनुसार होगा।

4– इस शासनादेश की व्यवस्था का लाभ संबंधित सेवा नियमावली में संशोधन के उपरांत देय तिथि से होगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या– वे0आ0–1–305/दस–08, दिनांक 13.8.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(उमेश सिन्हा)
सचिव।

संख्याः **1501**(1)/35–1–2008–4/1(14)/2006 **T.C.** तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
3– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2 (तीन–तीन प्रतियों में)
4– निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण व्यूरो, उत्तर प्रदेश, वित्त विभाग,सचिवालय।
5– मुख्य लेखाकार/मुख्य कोषाध्यक्ष, नियोजन सचिव शाखा।
6– आहरण एवं वितरण अधिकारी, प्रशिक्षण प्रभाग, रा0नि0सं0, उ0प्र0,लखनऊ।
7– गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(अवनीश चन्द्र शंखधर)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- 1501 / 35-1-2008-4/1141/2006 टीएसी दिनांक 20.8.08

कार्य संलग्नक:

वाहन चालक ग्रेड-4 से वाहन चालक ग्रेड-2 के पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट का पाठ्यक्रम

(1) अंग्रेजी के अंकों एवं अक्षरों/चिन्हों का पढ़ने में सक्षम हो ।
(Must be abl to read English numerals and figures.)

(2) यातायात नियमों का अच्छा ज्ञान हो ।
(Must have good knowledge of traffic regulation.)

(3) वाहन के संचालन सम्बन्धी साधारण खराबियों को ढूँढ़ने एवं उन्हें ठीक करने में सक्षम हों ।
(Must able to locate faults and carry out minor running repairs.)

(4) वाहन के पहिए बदलने एवं पहियों के टायरों में हवा के सही दबाव को समझने में सक्षम हो ।
(Must be ablto change wheels and correctly inflate tyres.)

परीक्षा- उपरोक्त आधार पर व्यवहारिक परीक्षा होगी ।
(Test- Practical test based on above)

वाहन चालक ग्रेड-3 से वाहन चालक ग्रे-2 पर पदोन्नति हेतु निर्धारित ट्रेड टैस्ट का पाठ्यक्रम

(1) अंग्रेजी के अंकों एवं अक्षरों/चिन्हों को पढ़ने में सक्षम हो ।
(Must be abl to read English numerals and figures.)

(2) यातायात सम्बन्धी नियमों की गहन जानकारी हो ।
(Must have a thorough Knowledge of traffic regulation.)

(3) पेट्रोल एवं डीजल इंजनों की कार्य प्रणाली की अच्छी जानकारी हो एवं उनकी साधारण तकनीकी खराबियों को ढूँढ़ने एवं ठीक करने में सक्षम हो ।
(Must have good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects.)

(4) कारब्यूरेटर, प्लग इत्यादि को साफ करने में सक्षम हो ।
(Must be abl to clear carburettor plug, etc.)

परीक्षा- उपरोक्त आधार पर व्यवहारिक परीक्षा होगी ।
(Test- Practical test based on above.)